SANDHAR
Growth. Motivation. Better Life

Ref: STL /SE/ 2025-2026/Newspaper Publication/34

Dated: 08th August, 2025

To,	**To,**
Department of Corporate Services,	Listing Department,
BSE Limited	National Stock Exchange of India Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,	C-1, G-Block, Bandra-Kurla Complex
Mumbai – 400 001	Bandra, (E), Mumbai – 400 051

BSE Code: 541163; NSE: SANDHAR

Sub: Copy of Published Un-Audited (Standalone & Consolidated) Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2025

Dear Sir/Madam,

Please find attached herewith the copy Un-Audited Standalone & Consolidated Financial Results for the quarter ended 30th June, 2025, as published in requisite newspaper as per the requirement of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours Faithfully,

For SANDHAR TECHNOLOGIES LIMITED

Yashpal Jain Digitally signed by Yashpal Jain
Date: 2025.08.08 09:55:27 +05'30'

Yashpal Jain
(Chief Financial Officer & Company Secretary)
M. No. A13981

Encl.: As above

W.S.INDUSTRIES (INDIA) LIMITED

CIN: L29142TN1961PLC004568
Regd. Office : 3rd Floor, New No.48, Old No.21, Savidhaanu Building, Casa Major Road, Egmore, Chennai – 600 008.

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2025.

[under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015]

The Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) of W.S. Industries (India) Limited ("the Company") for the quarter ended 30th June 2025, as approved by the Board of Directors of the Company, at their meeting held on 7th August 2025, along with the Limited Review Report issued by the Statutory Auditors are available on the website of the Company at the link below and can also be accessed by scanning the Quick Response ("QR") Code given below:

Weblink: https://wsindustries.in/storage/app/uploads/public/689/4b0/5ce/6894b05ce0198665551699.pdf

QR Code:

Place: Chennai
Date: 7th August 2025

For W. S. INDUSTRIES (INDIA) LIMITED
SEYYADURAI NAGARAJAN
CHAIRMAN
DIN: 07036078

DYNAMATIC TECHNOLOGIES LIMITED

CIN: L72200KA1973PLC002308
Regd. Office : JKM Plaza, Dynamatic Aerotropolis, 55, KIADB Aerospace Park, Bangalore-562 149, India.
Ph: +91 80 2111 1223, +91 80 2204 0535
www.dynamatics.com email: investor.relations@dynamatics.net

STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2025

(INR in Lakhs, except as otherwise stated)

Particulars	3 months ended 30 June 2025 (Unaudited)	Preceding 3 months ended 31 March 2025 (Unaudited)	Corresponding 3 months ended in previous period 30 June 2024 (Unaudited)	Previous year ended 31 March 2025 (Audited)
Revenue from operations	37,093	38,067	34,628	1,40,380
Net profit before tax	1,533	1,929	1,171	5,511
Net profit after tax	1,077	1,609	1,139	4,304
Total comprehensive income for the period	**3,851**	**2,826**	**1,203**	**5,451**
Equity Share Capital	679	679	679	679
Reserve	-	-	-	71,071
Earning Per Share (Face value of INR 10):	**(not annualised)**	**(not annualised)**	**(not annualised)**	**(annualised)**
Basic & Diluted (in INR)	15.86	23.70	16.77	63.39

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format for the quarter ended 30 June 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Other Disclosures Requirements) Regulations 2015. The full format for the same are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website www.dynamatics.com.
2. These financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standard ('Ind AS') prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI Circular dated 5 July 2016.
3. The above consolidated financial results of the Company has been reviewed by the Audit Committee and has been approved by the Board of Directors at their meetings held on 07 August 2025. The results for the quarter ended 30 June 2025 has been reviewed by the Statutory auditors of the Company. The Statutory Auditors of the Company has issued an unmodified conclusion in respect of the limited review for the quarter ended 30 June 2025. The reports of the Statutory Auditors is being filed with the Bombay Stock Exchange ("BSE") and the National Stock Exchange ("NSE") and is also available on the Company's website at www.dynamatics.com.
4. Additional information on standalone financial results is as follows: *(INR in Lakhs, except as otherwise stated)*

Particulars	3 months ended 30 June 2025 (Unaudited)	Preceding 3 months ended 31 March 2025 (Unaudited)	Corresponding 3 months ended in previous period 30 June 2024 (Unaudited)	Previous year ended 31 March 2025 (Audited)
a) Revenue from operations	17,760	17,321	14,829	63,918
b) Net profit before tax	2,120	787	1,283	5,431
c) Net Profit after tax	1,535	1,018	928	5,066

Place : Bangalore
Date : 07 August, 2025

For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-
UDAYANT MALHOUTRA
CEO and Managing Director
Dynamatic Technologies Limited
DIN: 00053714

SANDHAR

Growth. Motivation. Better Life

Fostering Innovation and Growth

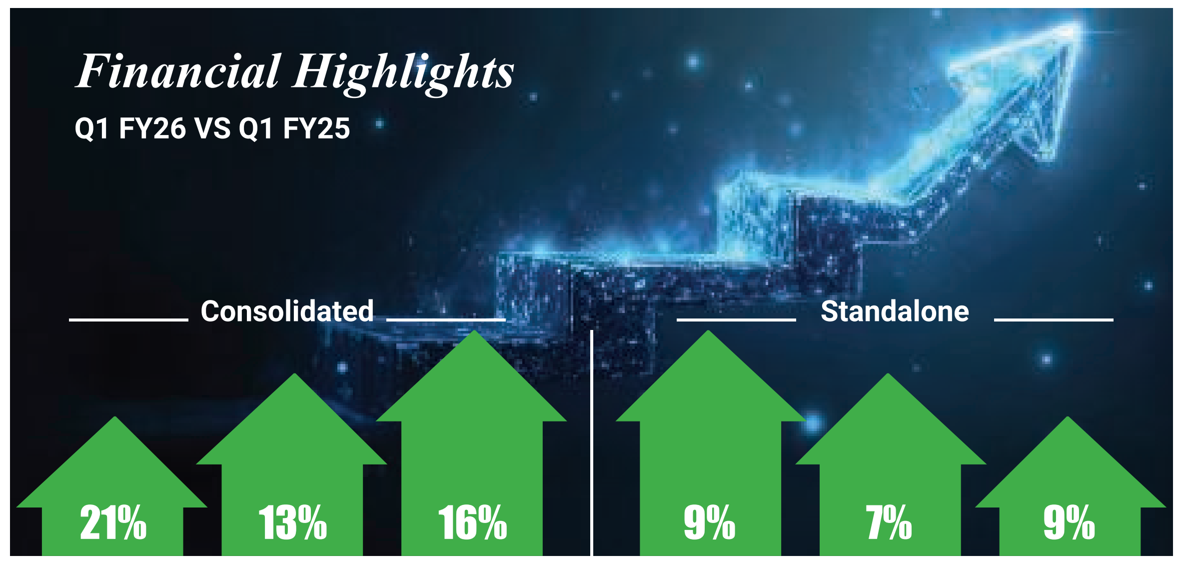

Total Income | EBITDA | PAT* | Total Income | EBITDA | PAT*

*Including other comprehensive income

EXTRACT OF CONSOLIDATED AND STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2025

(₹ in lakhs, except earning per share)

Sl. No.	Particulars	Consolidated			Standalone		
		Quarter ended		Year ended	Quarter ended		Year ended
		30 June 2025	30 June 2024	31 March 2025	30 June 2025	30 June 2024	31 March 2025
		Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Revenue from Operations	109,008.84	91,256.69	388,450.22	72,812.12	67,410.66	291,303.56
2	Net Profit for the period (before tax, exceptional item and share of profit in joint ventures)	3,442.20	3,528.76	17,257.79	3,455.74	3,388.19	18,309.95
3	Net Profit for the period (before tax after exceptional item and share of profit in joint ventures)	3,631.38	3,713.79	18,459.36	3,455.74	3,388.19	18,614.28
4	Net Profit for the period (after tax, exceptional item and share of profit in joint ventures)	2,801.26	2,906.29	14,164.24	2,540.23	2,466.89	13,962.71
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the Period after Tax and Other Comprehensive Income/(Loss) after Tax)	3,308.41	2,851.00	14,227.13	2,666.81	2,448.92	13,847.64
6	Equity Share Capital	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07
7	Total Reserves	-	-	107,911.05	-	-	108,636.24
8	Earnings Per Share (Face value of ₹10/- per share) (not annualised for quarter)						
	1. Basic:	4.65	4.83	23.53	4.22	4.10	23.20
	2. Diluted:	4.65	4.83	23.53	4.22	4.10	23.20

Note:

a) The above is an extract of the detailed format of Quarter ended 30 June 2025 of Consolidated and Standalone Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter ended Financial Results are available on the websites of the BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and on Company's website at www.sandhargroup.com.

For **Sandhar Technologies Limited**
JAYANT DAVAR
Chairman, Managing Director and Chief Executive Officer
DIN: 00100801

Place: Gurugram (Haryana)
Date: 7 August 2025

SANDHAR TECHNOLOGIES LIMITED
CIN: L74999DL1987PLC029553
Regd. Office: B - 6/20, L.S.C. Safdarjung Enclave, New Delhi 110029
Tel.: 0124 - 4518900, **E-mail:** investors@sandhar.in, **Website:** www.sandhargroup.com

sidbi

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

GeM Bid NOTICE

SIDBI invites eligible bidders to submit bids in GeM Portal for following bid:

Bid Description	GeM Bid Reference No.
Request for Proposal for Procurement of Checkpoint Firewalls and Management Appliance.	GEM/2025/B/6513722

For detailed bid documents, please visit **GeM Portal (gem.gov.in)** or our website at **www.sidbi.in**. Addendum/Corrigendum, if any, will be published in the above-mentioned websites only.

ASAHI INDIA GLASS LIMITED

CIN: L26102DL1984PLC019542
Registered Office: A-2/10, 1st Floor, WHS DDA Marble Market, Kirti Nagar, Mansarovar Garden, New Delhi – 110 015, **Phone :** (011) 49454900
Corporate Office: 3rd Floor, Tower-D, Global Business Park, Mehrauli - Gurugram Road, Gurugram - 122 002 (Haryana)
Phone: (0124) 4062212-19, **Fax:** (0124) 4062244/88
Email: investorrelations@aisglass.com, **Website:** www.aisglass.com

NOTICE

Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated 2nd July, 2025, the Company is pleased to offer one-time special window for the physical shareholders of the Company to submit re-lodgement requests for the transfer of shares for a period of six months, from 7th July, 2025 to 6th January, 2026.

This facility is specially applicable to cases which were lodged prior to deadline of 1st April, 2019 and the original share transfer were rejected / returned / not attended due to deficiencies in documentation, or were not processed due to any other reason.

All Shares re-lodged during the aforesaid period will be processed through the transfer-cum-demat mode i.e. they will be issued only in dematerialised form along with transfer.

Eligible shareholders are requested to contact the Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) i.e. MUFG Intime India Private Limited at email ID rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com or at their office at C 101, 247 Park, L B S Marg, Vikhroli (West) Mumbai-400 083 or the Company at investorrelations@aisglass.com for further assistance, within stipulated timeline.

Note: All the shareholders are requested to update their E-mail ID(s) with Company / RTA / Deposltory Participants.

For **Asahi India Glass Limited**
Sd/-
Gopal Ganatra
Executive Director
General Counsel & Company Secretary

Place: Gurugram
Date: 7th August, 2025

NBCC A Navratna CPSE

HON'BLE SUPREME COURT MONITORED HOUSING PROJECTS THROUGH LD. COURT RECEIVER
Executed by
NBCC (India) Limited

ASPIRE

Bulk Sale of inventory through e-Auction

Package-2
EMD Fee: ₹41.78 Crore
e-Auction will be held on : 12.08.2025
Last Date of Submission of EMD 11.08.2025
Spacious 3BHK apartments with modern amenities

Phase - II, Greater Noida (W), Uttar Pradesh

Package-1
e-Auction will be held on : 19.08.2025
EMD Fee: ₹67.67 Crore
Last Date of Submission of EMD 18.08.2025
Spacious 3BHK, 4BHK apartments with modern amenities

Anand Vihar ISBT & railway station : 35 mins
Close proximity to renowned schools and hospitals

Please scan this QR for e-auction document

Please scan the QR for location

For more details Please visit our website: **www.nbccindia.in** | **www.receiveramrapali.in**
9772907414

पंजाब नैशनल बैंक pnb punjab national bank

दबावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन प्रभाग (एसएएमडी), प्रधान कार्यालय
प्लॉट संख्या 4, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075
ईमेल: HOSASTRAWILFUL@PNB.CO.IN

09.07.2025

प्रधान कार्यालय में 08.07.2025 को आयोजित कार्यवाही में पारित इरादतन चूककर्ताओं की पहचान हेतु समिति-2 का आदेश।

मेसर्स एनसीएमएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (रु. 33.95 करोड़)

एसएएमबी: दिल्ली, एनपीए की तिथि: 31.03.2015

आरबीआई के मास्टर निर्देश **RBI/DoR/2024-25/122 DoR.FIN.REC.No.31/ 20.16.003/ 2024-25**, 30 जुलाई 2024 के अनुसार, बैंक की इरादतन चूककर्ताओं की पहचान हेतु समिति की बैठक 21.05.2025 को आयोजित की गई। पहचान समिति ने निष्कर्ष निकाला कि कर्जदार के खाते(खातों) में इरादतन चूक की घटनाएँ घटित हुई हैं और निम्नलिखित व्यक्तियों को इरादतन चूककर्ता के रूप में पहचानने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने को अपनी स्वीकृति दी:

1. **मेसर्स एनसीएमएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कर्जदार)**
2. **श्री मोहन लाल जैन (निदेशक)**
3. **श्री मनीष जैन (निदेशक)**
4. **श्रीमती सुमन जैन (निदेशक)**
5. **श्री शिव कुमार कालरा**
6. **श्री संजय कुमार टिक्कू (निदेशक)**
7. **सुश्री वीनू जैन (निदेशक)**
8. **सुश्री चंद्रावती (निदेशक)**

तदनुसार, उपरोक्त कर्जदार अर्थात मेसर्स एनसीएमएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इसके संबंधित पक्षों, जो डिफॉल्ट की घटनाओं में शामिल थे, को **22.05.2025** को 21 दिनों का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उन्हें सूचित किया गया था कि यदि वे चाहें तो नोटिस प्राप्त होने के 21 दिनों के भीतर बैंक को अभ्यावेदन दे सकते हैं कि उन्हें इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत क्यों न किया जाए। उक्त कारण बताओ नोटिस के जवाब में श्री मनीष जैन (प्रबंध निदेशक) ने 05.06.2025 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, **श्रीमती सुमन जैन (निदेशक) और श्री संजय कुमार टिक्कू (निदेशक) ने** 06.06.2025 को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया **और सुश्री वीनू जैन (निदेशक) ने** 07.06.2025 को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर, पहचान समिति ने 08.07.2025 को अपनी बैठक में अभ्यावेदन पर विचार-विमर्श किया।

समिति का विचार-विमर्श:

प्रतिनिधि श्री मनीष जैन ने दिनांक 05.06.2025 को अपने अभ्यावेदन में एससीएन में लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया और दावा किया कि एनसीएलटी के समक्ष दावा स्वीकार किए जाने के कारण 07.11.2017 से कंपनी के दस्तावेजों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है और उन्होंने वे सभी दस्तावेज मांगे जिनके आधार पर **फोरेंसिक ऑडिटर मेसर्स ग्रांट थॉर्नटन इंडिया एलएलपी** ने ऑडिट रिपोर्ट तैयार की थी।

समिति ने पाया कि **फोरेंसिक ऑडिटर मेसर्स ग्रांट थॉर्नटन इंडिया एलएलपी** द्वारा तैयार एफएआर में स्पष्ट रूप से व्यावसायिक लेनदेन को तरजीही लेनदेन और नकली/जाली वैट फॉर्म के उपयोग का वर्णन किया गया है। उपरोक्त विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट केवल कंपनी से ऑडिटर द्वारा प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर तैयार की गई है। फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट की एक प्रति प्रतिनिधि को कारण बताओ नोटिस के साथ पहले ही प्रदान की जा चुकी है जिसके आधार पर इरादतन चूक की प्रक्रिया शुरू की गयी थी।

प्रतिनिधि ने प्रस्तुत किया कि निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान कंपनी से कोई ऋण नहीं लिया गया था और सभी ऋण कंपनी में उनकी नियुक्ति से पहले लिए गए थे और दावा किया कि व्यक्तिगत दिवालियापन याचिका संख्या 493/पीबी/2022 उनके खिलाफ लंबित है और एनसीएलटी के समक्ष व्यक्तिगत दिवालियापन के लंबित रहने के दौरान, इरादतन चूक की कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है।

समिति ने पाया कि जिन लेन-देन के आधार पर रउठ में आरोप लगाए गए हैं, वे उस अवधि से संबंधित हैं जब श्री मनीष जैन एनसीएमएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक और प्रमोटर थे और इसलिए **प्रतिनिधि** अपने कार्यकाल के दौरान किए गए लेनदेन के लिए अपनी देयता से बच नहीं सकते। इसके अलावा, जहां तक व्यक्तिगत दिवालियापन मामले की चिंता है, प्रतिनिधि ने इरादतन चूक की कार्यवाही पर रोक लगाने वाले सक्षम न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं दिया है। इसलिए यह तर्क स्वीकार्य नहीं है।

प्रतिनिधि ने यह भी प्रस्तुत किया कि उन्होंने कई बैंकों से संपर्क किया, हालांकि, टीईवी अध्ययन के कारण जेएलएम द्वारा अतिरिक्त ऋण के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया, जिसके अनुसार इकाई तकनीकी रूप से व्यवहार्य थी लेकिन आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं थी। यह कहा गया कि वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए अग्रणी बैंक, एसबीआई द्वारा किए गए एसआईए (विशेष जांच लेखा परीक्षा) के अनुसार, निधि का कोई डाइवर्जन नहीं हुआ है।

समिति ने पाया कि जिन लेनदेन के आधार पर एससीएन में आरोप लगाए गए हैं, वे वर्ष 2017 की अवधि से संबंधित हैं जो निधियों के डायवर्जन से संबंधित हैं और तदनुसार प्रतिनिधि 2017 की अवधि से संबंधित एससीएन की सामग्री का जवाब देने में विफल रहा।

प्रतिनिधि का दावा है कि निधियों के डायवर्जन का आरोप गलत है क्योंकि उनकी कंपनी ने मेसर्स रतन प्रिया इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, वीआरवी फूड्स लिमिटेड और एनएम इंडस्ट्रीज के साथ एक-दूसरे के खिलाफ देनदारियों को समायोजित करने के लिए उचित रूप से सेटलमेंट समझौता किया था। प्रतिनिधि द्वारा सेटलमेंट समझौते की प्रति संलग्न है।

समिति ने पाया कि फोरेंसिक ऑडिटर ग्रांट थॉर्नटन इंडिया एलएलपी ने अपनी रिपोर्ट में तरजीही लेनदेन से संबंधित संभावित गैर-अनुपालन को निम्नानुसार इंगित किया है: मार्च 2017 में, रत्ना प्रिया इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड (लेनदार) और वीआरवी फूड्स लिमिटेड (रत्ना प्रिया इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड की एक संबद्ध इकाई) के साथ एक समायोजन किया गया था।

फोरेंसिक ऑडिटर ने कॉर्पोरेट देनदार और रत्ना प्रिया इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच 5.54 करोड़ रुपये के एक हस्ताक्षरित सेटलमेंट समझौते का उल्लेख किया। इस समझौते में कहा गया था कि कॉर्पोरेट देनदार को रत्ना प्रिया इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड को कुल 9.57 करोड़ रुपये का भुगतान करना था। इसके अलावा, रत्ना प्रिया इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड और वीआरवी फूड्स लिमिटेड पर एनएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कर्जदार कंपनी से संबंधित पक्ष) का कुल 5.54 करोड़ रुपये बकाया था।

5.54 करोड़ रुपये की यह राशि रत्ना प्रिया इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदार शेष से समायोजित की गई थी। यह लेन-देन बैंक खातों के माध्यम से भुगतान किए बिना लेखा पुस्तकों में किया गया था, और लेनदार शेष को प्रतिभूत लेनदारों के बजाय प्राथमिकता दी गई थी।

अगस्त 2017 में, कॉर्पोरेट देनदार द्वारा पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या 3703005900000010 से कुल बकाया राशि रु. 4.03 करोड़ का भुगतान किया गया था। इसलिए, रु. 5.54 करोड़ का लेनदेन 'संभावित अधिमान्य लेनदेन और संहिता, 2016 की धारा 43' के अनुसार गैर-अनुपालन प्रतीत होता है।

उपरोक्त सभी लेन-देन धन के संभावित डाइवर्जन का संकेत देते हैं।

प्रतिनिधि ने यह भी प्रस्तुत किया कि 2013-2017 के दौरान, 845.67 करोड़ रुपये की बिक्री की गई और आठ पक्षों से 512.06 करोड़ रुपये वसूले गए। 333.61 करोड़ रुपये के अंतर पर सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन पूर्व अवधि के बकाया सहित 613.60 करोड़ रुपये बट्टे खाते में डाल दिए गए। आगे कहा गया है कि खातों में प्रावधान किए गए थे और बैंकों को बताए गए थे, इसलिए कोई धोखाधड़ी का इरादा नहीं था।

समिति ने पाया कि कंपनी का स्पष्टीकरण 613.60 करोड़ रुपये की अत्यधिक राशि को बट्टे खाते में डालने को उचित नहीं ठहराता, खासकर जब इसमें 2013 से पहले की अवधि के प्राप्य शामिल हैं। केवल सात महीनों (मार्च-अक्टूबर 2017) में इतनी बड़ी राशि को बट्टे खाते में डालना गंभीर चिंता का विषय है। बट्टे खाते में डालने की मात्रा और समय, बैलेंस शीट को साफ करने और धोखाधड़ी की गतिविधियों को छिपाने के इरादतन किए गए प्रयास की ओर इशारा करते हैं। वित्तीय विवरणों में खुलासा धोखाधड़ी के इरादे को खारिज नहीं करता, खासकर जब वे खुलासे अस्तित्वहीन या निष्क्रिय पक्षों के साथ लेनदेन पर आधारित हों।

प्रतिनिधि ने प्रस्तुत किया कि कंपनी ने दावा किया कि बिक्री खेप के आधार पर की गई थी और वैट विभाग द्वारा जारी फॉर्म-एफ द्वारा समर्थित थी। बिक्री कर विभाग ने मूल्यांकन में इन्हें स्वीकार किया था, इसलिए इन्हें वास्तविक माना जाना चाहिए।

समिति ने पाया कि फोरेंसिक ऑडिट में फॉर्म-एफ दस्तावेजों में कई विसंगतियां सामने आईं, जिनमें बेमेल तिथियां (वैट पंजीकरण से पहले जारी किए गए फॉर्म), सार्वजनिक अवकाश पर जारी किए गए फॉर्म, मैन्युअल रूप से लिखी गई तिथियां और वर्तनी की त्रुटियां शामिल हैं। ऐसी विसंगतियां दर्शाती हैं कि ये फॉर्म या तो गढ़े गए थे या काल्पनिक लेनदेन का समर्थन करने के लिए उनमें हेरफेर किया गया था। नियमित कर मूल्यांकन में इन फॉर्मों को स्वीकार करने से उन दस्तावेजी अनियमितताओं को दरकिनार नहीं किया जा सकता जो हितधारकों के समक्ष तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के इरादे का संकेत देती हैं।

प्रतिनिधि का दावा है कि कंपनी ने ग्राहकों से बकाया राशि वसूलने के लिए निरंतर प्रयास किए और आपूर्ति के बाद की अवधि में 100 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली करने में भी सफल रही। देनदारों द्वारा बकाया राशि स्वीकार करने और गुणवत्ता संबंधी शिकायतों के पत्र संलग्न हैं।

समिति ने पाया कि कुछ वसूलियाँ तो हुई होंगी, लेकिन तथ्य यह है कि अधिकांश मामलों में विश्वसनीय वसूली कार्रवाई के बिना ही 613.60 करोड़ रुपये बट्टे खाते में डाल दिए गए। फोरेंसिक ऑडिट ने पुष्टि की कि अधिकांश पक्षों का या तो पता नहीं चल पाया या उन्होंने अपना कामकाज बंद कर दिया था। इसके अलावा, कंपनी द्वारा शुरू की गई कई मध्यस्थता कार्यवाहियाँ उसके विरुद्ध गईं, जिससे उसके दावे और कमजोर हो गए। चुनिंदा वसूली और बकाया राशि वसूलने में व्यापक विफलता से पता चलता है कि कंपनी को वसूली की कोई वास्तविक उम्मीद नहीं थी, जिससे निधि के डाइवर्जन के आरोप को बल मिलता है।

प्रतिनिधि ने भुगतान न करने के कारणों, जैसे गलत/अलग तेलों की आपूर्ति, गुणवत्ता संबंधी समस्याएं, गोदाम में आग, बाजार में गिरावट, आदि की व्याख्या करते हुए पार्टी-वार एक विस्तृत तालिका भी प्रदान की।

समिति ने नोट किया कि ये स्पष्टीकरण कई पक्षों द्वारा दोहराए गए और एक जैसे हैं, जिससे पता चलता है कि ये वास्तविक नहीं हैं, बल्कि भुगतान न करने को उचित ठहराने के लिए गढ़े गए हैं। इसके अलावा, ये बहाने बाद में सामने आए, और उचित विवाद समाधान तंत्र या असंतोषजनक माल की वापसी के साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं। गुणवत्ता संबंधी विवाद उठाने के बाद भी कंपनी ने उन्हीं चूककर्ताओं को नई आपूर्ति जारी रखी, जो उसके वास्तविक व्यापारिक संबंधों के दावे का खंडन करता है।

प्रतिनिधि ने प्रस्तुत किया कि श्री रजनीश जैन की मृत्यु के बाद, व्यावसायिक संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। आपूर्तिकर्ताओं ने अग्रिम साख पत्र की मांग की, और खरीदारों ने अग्रिम भुगतान करने से इनकार कर दिया। इस बेमेल ने नकदी प्रवाह को प्रभावित किया और राइट-ऑफ को जन्म दिया।

समिति ने नोट किया कि प्रतिकूल व्यावसायिक परिस्थितियाँ उन लेन-देन के पैटर्न को उचित नहीं ठहराती हैं जिनमें पता न चलने वाली और निष्क्रिय संस्थाओं को क्रेडिट पर माल बेचना, लगातार भुगतान में चूक को नजरअंदाज करना और अनुचित तरीके से बट्टे खाते में डालना शामिल है। कंपनी का आचरण वास्तविक व्यापार के बहाने व्यवस्थित रूप से निधि के डाइवर्जन को दर्शाता है। आठ संस्थाओं यानी प्रिया सेल्स कॉर्पोरेशन, गोयल एंटरप्राइजेज, नारायण ट्रेडिंग कंपनी, जय अंबे ट्रेडिंग कंपनी, एस.एम. एग्रो, पारस इंटरनेशनल, भोले नाथ ट्रेडिंग कंपनी, एच.जी. एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड के साथ चल रहे संबंध, स्पष्ट जोखिम के बावजूद, लापरवाही और इरादतन चूक को दर्शाते हैं।

प्रतिनिधि ने दलील दी कि कंपनी का दावा है कि उसने वित्त वर्ष 2015-16 में 142.52 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2016-17 में 211.60 करोड़ रुपये के डूबत ऋणों के लिए प्रावधान किया था, और वित्त वर्ष 2016-17 में 259.06 करोड़ रुपये का और डूबत ऋण दर्ज किया गया था। इसका खुलासा लेखापरीक्षित विवरणों में किया गया है।

समिति ने कहा कि प्रावधान और लेखापरीक्षित खुलासे कंपनी को उस स्थिति में ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं करते जब अंतर्निहित लेनदेन धोखाधड़ी वाले हों। फोरेंसिक ऑडिट से स्पष्ट रूप से पता चला कि संबंधित पक्षों में विश्वसनीयता की कमी थी, दस्तावेज या तो जाली थे या गायब थे, और इनमें से अधिकांश संस्थाओं का कोई सक्रिय संचालन नहीं था। काल्पनिक प्राप्तियों और उन पर आधारित प्रावधानों का खुलासा पारदर्शी वित्तीय आचरण नहीं माना जा सकता।

प्रतिनिधि ने प्रस्तुत किया कि कंपनी बाजार-संचालित विवादों और गुणवत्ता/समाप्ति संबंधी मुद्दों के कारण ग्राहकों द्वारा भुगतान करने की अनिच्छा का हवाला दे रही है। उनका दावा है कि खरीदारों ने भुगतान रोकने की धमकी दी थी और उत्पाद की शेल्फ लाइफ के कारण वसूली असंभव थी।

समिति ने पाया कि बार-बार दिए गए इन बहानों का सत्यापन योग्य कोई प्रमाण नहीं है। कंपनी के पक्ष में कोई विश्वसनीय विवाद समाधान, मध्यस्थता, या विवादित स्टॉक की वापसी नहीं दिखाई गई है। इसके बजाय, लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस बात की पुष्टि करते हैं कि कंपनी प्रतिपक्षकारों के साथ व्यवहार करते समय बुनियादी सावधानी बरतने में विफल रही और बिना किसी प्रभावी नियंत्रण या वसूली उपायों के, प्राप्य खातों को कृत्रिम रूप से बढ़ने दिया।

प्रतिनिधि ने यह भी प्रस्तुत किया कि पक्षों ने बकाया राशि स्वीकार की और पत्राचार लेखा परीक्षकों के साथ साझा किया गया। अनुवर्ती कार्रवाई और आंशिक वसूली हुई।

समिति ने पाया कि फोरेंसिक ऑडिट से पुष्टि हुई कि ज्यादातर पक्ष दर्ज पतों पर मौजूद नहीं थे, उन्होंने अपने टीआईएन रद्द कर दिए थे, और एक-दूसरे से संबंधित या परिचित थे, जिससे एक चक्रीय व्यवस्था का संकेत मिलता है। ये पत्राचार सामान्य थे और लेन-देन की वैधता को प्रमाणित करने या यह साबित करने के लिए अपर्याप्त थे कि प्राप्य वास्तव में प्रवर्तनीय थे।

प्रतिनिधि ने आगे कहा कि कंपनी का कहना है कि 613.60 करोड़ रुपये की राशि को बट्टे खाते में डालना सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया में किया गया था और बाजार की वास्तविकताओं के कारण यह अपरिहार्य था।

समिति ने पाया कि अल्पावधि में केंद्रित बट्टे खाते में डालने का पैमाना, पैटर्न और तरीका, जिसमें अस्तित्वहीन या बंद हो चुकी संस्थाएँ और विश्वसनीय कानूनी या व्यावसायिक कार्रवाई का अभाव है, बैंक निधियों के इरादतन डाइवर्जन की ओर इशारा करता है। इन्हें सामान्य व्यावसायिक जोखिम या बाजार की घटना के रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता।

प्रतिनिधि ने आगे कहा कि कंपनी मध्यस्थता कार्यवाही का हवाला देती है, जिनमें से अधिकांश प्रतिकूल रूप से समाप्त हुईं। कानूनी सलाह ने पुरस्कारों को चुनौती देने की कोई गुंजाइश नहीं सुझाई।

समिति ने पाया कि प्रतिकूल मध्यस्थता परिणाम और आगे कानूनी कार्रवाई का अभाव यह दर्शाता है कि कंपनी के पास या तो मजबूत दावे नहीं थे या उसने इरादतन अज्ञात/मृत संस्थाओं के साथ लेन-देन किया। यह फिर से इस दृष्टिकोण को पुष्ट करता है कि लेन-देन सद्भावना से नहीं किए गए थे, बल्कि उनका उद्देश्य प्राप्तियों को कृत्रिम रूप से बढ़ाना और निधि का डाइवर्जन करना था।

प्रतिनिधि ने कहा कि प्रिया सेल्स कॉर्पोरेशन, जिसका नाम अब तिरुपति इम्पेक्स है, के साथ लेन-देन की अंतिम तिथि के बाद भी बिक्री लेनदेन जारी रहा।

समिति ने पाया कि यह इरादतन अलग-अलग नामों से संबंधों को स्तरीकृत और जारी रखने को दर्शाता है। फोरेंसिक ऑडिट में दोनों संस्थाओं के लिए समान टिन (टिन) पाया गया। इस तरह की गतिविधियाँ सामान्य व्यावसायिक निरंतरता को नहीं, बल्कि हेरफेर और छिपाने को दर्शाती हैं।

प्रतिनिधि ने कहा कि फॉर्म-एफ और वैट दस्तावेज कथित तौर पर स्कैन किए गए थे और समय बीतने के कारण अपठनीय थे।

समिति ने नोट किया कि फोरेंसिक ऑडिट में स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है कि कई दस्तावेज संदिग्ध, पिछली तारीख के, या छुट्टियों पर जारी किए गए थे। कंपनी द्वारा मूल या वैध बैकअप प्रस्तुत न करना इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि दस्तावेज फर्जी बिक्री को छिपाने के लिए गढ़े गए थे।

प्रतिनिधि ने कहा कि लॉरी रसीदों के सीरियल नंबर तारीखों से मेल नहीं खाते। इसका कारण ट्रांसपोर्टरों द्वारा एक साथ इस्तेमाल की जाने वाली उद्योग पद्धति को बताया गया।

समिति ने नोट किया कि यह स्पष्टीकरण तब लागू नहीं होता जब 18 अलग-अलग लेन-देन में यह विसंगति दिखाई देती है। यह पैटर्न पिछली तारीख या गैर-मौजूद लॉजिस्टिक्स की ओर इशारा करता है, जिससे लेन-देन की विश्वसनीयता और कम होती है।

प्रतिनिधि श्रीमती सुमन जैन ने 06.06.2025 को अपने अभ्यावेदन में प्रस्तुत किया कि वह केवल 29 सितंबर, 2012 तक कंपनी की निदेशक थीं और कंपनी के प्रबंधन में उनकी कोई सहभागी भूमिका नहीं थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि उन्होंने वर्ष 2012 में इस्तीफा दे दिया था और उन्हें कथित इरादतन चूककर्ता नहीं माना जा सकता क्योंकि एससीएन में उल्लिखित लेनदेन उनके निदेशक पद से इस्तीफा देने के बाद की अवधि से संबंधित है।

समिति ने पाया कि श्रीमती सुमन जैन को जारी एससीएन इस तथ्य पर आधारित था कि वे निदेशक के रूप में कार्यरत थीं... (इस अंश का शेष भाग अस्पष्ट)

प्रतिनिधि श्री संजय कुमार टिक्कू ने दिनांक 06.06.2025 को अपने अभ्यावेदन में प्रस्तुत किया कि वह 6 जुलाई 2015 तक ही कंपनी के स्वतंत्र निदेशक थे और कंपनी के प्रबंधन में उनकी कोई सहभागी भूमिका नहीं थी।

उन्होंने लेन-देन लेखा परीक्षा रिपोर्ट को भी चुनौती दी और कहा कि वह कभी भी कंपनी के संचालन में शामिल नहीं थे और उन्होंने 6 जुलाई 2015 को इस्तीफा दे दिया था।

समिति ने पाया कि फॉर्म संख्या डीआईआर-12 के माध्यम से यह स्थापित होता है कि श्री संजय कुमार टिक्कू स्वतंत्र निदेशक के रूप में कंपनी से जुड़े हुए थे... और 2015 में अपना इस्तीफा दे दिया था, तदनुसार उपरोक्त समिति के विचार या उनके खिलाफ निधियों के डायवर्जन और साइफनिंग के आरोपों को हटा दिया गया।

प्रतिनिधि सुश्री वीनू जैन ने दिनांक 07.06.2025 को अपने अभ्यावेदन में प्रस्तुत किया कि वह 11 जुलाई 2015 तक ही कंपनी की स्वतंत्र निदेशक थीं और कंपनी के प्रबंधन में उनकी कोई सहभागी भूमिका नहीं थी। प्रस्तुत किया गया है कि उन्होंने वर्ष 2015 में इस्तीफा दे दिया था और उन्हें कथित इरादतन चूककर्ता नहीं माना जा सकता क्योंकि एससीएन में उल्लिखित लेनदेन उनके निदेशक पद से इस्तीफा देने के बाद की अवधि से संबंधित है।

पहचान समिति ने नोट किया कि डीआईआर-12, कंपनी संकल्प और नियुक्ति सहित विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से यह स्थापित होता है कि वे स्वतंत्र निदेशक के रूप में जुड़ी थीं और कंपनी के प्रबंधन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी।

इसके अलावा, जारी की गई एससीएन के अनुसार 01 अप्रैल 2015 से नवंबर 2017 तक की अवधि से संबंधित निधियों के डायवर्जन और साइफनिंग के आरोप और उन्होंने 2015 में अपना इस्तीफा दे दिया था और उपरोक्त समिति के मद्देनजर वीनू जैन (पूर्व निदेशक) के खिलाफ निधियों के डायवर्जन और साइफनिंग के आरोपों को छोड़ने की राय दी।

इसलिए, रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों पर विचार करने के बाद समिति ने पाया कि कर्जदार और उसके संबंधित पक्षों ने बैंक को भुगतान/पुनर्भुगतान दायित्वों में चूक की और चूक की घटनाओं में शामिल थे, आरबीआई के उपर्युक्त मास्टर निर्देशों में निर्दिष्ट निम्नलिखित आधारों पर उन्हें इरादतन चूककर्ता के रूप में पहचाना जाना उपयुक्त है:

निधियों का डायवर्जन

ग्रांट थॉर्नटन इंडिया एलएलपी द्वारा किए गए फोरेंसिक ऑडिट में कंपनी और उसके प्रमोटरों/निदेशकों द्वारा कई प्रतिकूल वित्तीय प्रथाओं की पहचान की गई। महत्वपूर्ण निष्कर्षों में से एक मार्च 2017 में निष्पादित एक अधिमान्य लेनदेन शामिल था। इसमें मेसर्स एनसीएमएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसकी संबंधित संस्थाओं के बीच 9.57 करोड़ रुपये की देनदारियों का समायोजन शामिल था, जहां मेसर्स रत्ना प्रिया इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए कंपनी की देनदारी को एक अन्य समूह संस्था मेसर्स एनएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा प्राप्त राशि के खिलाफ ऑफसेट किया गया था। इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा मेसर्स रत्ना प्रिया इम्पेक्स को 4.03 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया था। ये लेन-देन आम्र-लैंथ सिद्धांत का पालन नहीं करते थे और संबंधित पक्षों को अधिमान्य लाभ के लिए कंपनी के फंड को डायवर्ट करते थे, जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 43 का उल्लंघन था।

निधियों की साइफनिंग

इसके अलावा, पूरक फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में देनदारों की शेष राशि को बट्टे खाते में डालने के संबंध में गंभीर चिंताएँ जताई गई हैं। मार्च 2017 और अक्टूबर 2017 के बीच, एनसीएमएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आठ संस्थाओं से संबंधित 613.60 करोड़ रुपये की प्राप्तियों को बट्टे खाते में डाल दिया। जाँच करने पर, पता चला कि इनमें से कई संस्थाएँ या तो तो लेन-देन दर्ज होने के बाद से ही परिचालन बंद कर दिया था, या उनका कोई पता नहीं चल पाया। इसके अतिरिक्त, फॉर्म-एफ और वैट फाइलों जैसे प्रमुख दस्तावेज़ों से या तो जाली पाए गए या फिर मौजूद ही नहीं थे। यह निधि की साइफनिंग करने और वास्तविक व्यावसायिक हानियों को दिखाने के लिए फर्जी लेन-देन दर्ज करने का संकेत देता है।

इरादतन चूक न चुकाने वालों की पहचान के लिए समिति का आदेश:

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप गठित पहचान समिति-2 ने समग्र तथ्यों पर समुचित विचार-विमर्श और उपरोक्त चर्चा के बाद, दिनांक **08.07.2025** की बैठक में उनके अभ्यावेदन पर विचार-विमर्श के दौरान पाए गए कारणों से **श्रीमती सुमन जैन (निदेशक), श्री संजय कुमार टिक्कू (निदेशक) और सुश्री वीनू जानी (निदेशक)** का नाम हटाने का निर्देश दिया। समिति ने यह भी पाया कि शेष पक्ष अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों का खंडन करने में विफल रहे हैं। इसलिए, समिति ने निम्नलिखित व्यक्तियों की पहचान इरादतन ऋण न चुकाने वाली के रूप में करने का निर्णय लिया:

क्र.सं.	नाम	पद/स्थिति	प्रभार/लेखाएं
1	मेसर्स एनसीएमएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	उधारकर्ता	निधियों का डायवर्जन/निधियों की साइफनिंग
2	श्री मोहन लाल जैन	निदेशक	
3	श्री मनीष जैन	प्रबंध निदेशक	
4	सुश्री चंद्रावती	निदेशक	
5	श्री शिव कुमार कालरा जैन	निदेशक	

समिति ने तदनुसार आदेश जारी करने और कर्जदार तथा उसके संबंधित पक्षों को इसकी तामील करने का निर्देश दिया।

तथापि, समिति ने निर्देश दिया कि उपर्युक्त नामित व्यक्ति पहचान समिति के आदेश के विरुद्ध, इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर, बैंक के कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता वाली समीक्षा समिति-2 को निम्नलिखित पते पर लिखित अभ्यावेदन देने के लिए स्वतंत्र हैं: पंजाब नेशनल बैंक, एसएएमडी, प्रधान कार्यालय, तीसरी मंज़िल, प्लॉट संख्या 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली, पिन: 110075. यह भी सूचित किया जाता है कि अंतिम घोषणा से पहले बैंक के कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता वाली समीक्षा समिति द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।

आरबीआई के निर्देशों के अनुरूप गठित पहचान **समिति-II** में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

i. मुख्य महाप्रबंधक, एसएएमडी (समिति प्रमुख)
ii. महाप्रबंधक, सीआरएमडी, मुख्यालय
iii. उप महाप्रबंधक, एफआरएमडी मुख्यालय और
iv. सहायक महाप्रबंधक, विधि प्रभाग मुख्यालय (आमंत्रित)

पहचान समिति-2 ने अधोहस्ताक्षरी को इरादतन चूककर्ताओं की पहचान हेतु समिति का यह आदेश अपने हस्ताक्षर से भेजने के लिए अधिकृत किया है।

(नीरू सालदी)
सहायक महाप्रबंधक (विधि)

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

शाखाः हलवाई चौक बदायूँ

कब्जा सूचना
(चल/अचल प्रतिभूति के लिए)

परिशिष्ट IV (नियम 8(1)) के अनुसार वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के अन्तर्गत

सिक्योरिटाइजेशन एवं रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 के नियम 3 के नियमानुसार तथा सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट "एनफोर्समेंट" नियम 2002 (2002 का अधिनियम संख्या 54) के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी को 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था। ऋणी द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर ऋणी/गारन्टरों और जनसामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियमों 8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी प्रतिभूति का कब्जा ले लिया है। ऋणी/गारन्टरों को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न प्रतिभूति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें इस सम्पत्ति से किसी प्रकार का लेन-देन **बैंक ऑफ बड़ौदा हलवाई चौक बदायूँ शाखा** को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज व चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है। **(कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 8 के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है)**

क्र. सं.	ऋणी/गारन्टर के नाम	प्रतिभूतियों का विवरण	मांग नोटिस की तारीख / कब्जा नोटिस की तारीख	बकाया राशि
1.	1. मैसर्स जनता टिम्बर (द्वारा इसके पार्टनर), रजिस्टर्ड पताः मौहल्ला पनवाड़ी मुस्ताक गंज, जिला- बंदायू, उत्तर प्रदेश- 243601, **2.** नितिश शर्मा पुत्र स्व. अशोक कुमार शर्मा **(पार्टनर/गारन्टर/बंधककर्ता)**, निवासी ए-800 जीडी कॉलोनी मयूर विहार, फेस-3, वसुंधरा एन्कलेव पूर्वी दिल्ली-110096, **3.** अनुराधा शर्मा पत्नी स्व. श्री अशोक कुमार शर्मा, **(पार्टनर/गारन्टर/बंधककर्ता)**, निवासी मकान नं. 190 नियर पंजाबी मन्दिर सैयद बाड़ा, जिला- बंदायू उत्तर प्रदेश- 243601, **4.** नेहा शर्मा पुत्री स्व. अशोक कुमार शर्मा, **(पार्टनर/गारन्टर/बंधककर्ता)**, निवासी मकान नं. 190 नियर पंजाबी मन्दिर सैयद बाड़ा, जिला- बंदायू उत्तर प्रदेश- 243601, **5.** विनोद कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री कस्तूरी लाल शर्मा **(गारन्टर/बंधककर्ता)**, निवासी मकान नं. 190 नियर पंजाबी मन्दिर सैयद बाड़ा, जिला- बंदायू उत्तर प्रदेश- 243601, **6.** रेखा शर्मा पत्नी विनोद कुमार शर्मा **(गारन्टर/बंधककर्ता)**, निवासी मकान नं. 190 नियर पंजाबी मन्दिर सैयद बाड़ा, जिला- बंदायू उत्तर प्रदेश- 243601	**सम्पत्ति नं. 1.** बंधक सम्पत्ति के सभी भाग और भूखण्ड जिसका माप 108.69 वर्गमीटर स्थित मौहल्ला शेख पट्टी, तहसील और जिला- बंदायू -243601 सम्पत्ति स्वामी श्री अशोक कुमार शर्मा पुत्र कस्तूरी लाल (बंधककर्ता कानूनी उत्तराधिकारी श्री अशोक कुमार शर्मा) और विनोद कुमार शर्मा पुत्र कस्तूरी लाल, जिला- बंदायू रजिस्टर्ड बही नं.1, जिल्द 8776, पेज 367 से 402, क्रमांक नं. 2530 दिनांक 23.03.2015 में पंजीकृत। सीमाएं निम्न प्रकार है पूर्व- श्रीमती अनुराधा शर्मा की कोठी, पश्चिम- 10 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तर- सरकारी सड़क, दक्षिण- सरदार गुरदीप सिंह का मकान। **सम्पत्ति नं. 2-** बंधक सम्पत्ति के सभी भाग और भूखण्ड जिसका माप 103.68 वर्गमीटर स्थित मौहल्ला शेख पट्टी, तहसील और जिला- बंदायू -243601 सम्पत्ति स्वामी अनुराधा शर्मा पत्नी श्री अशोक कुमार शर्मा, रेखा शर्मा पत्नी विनोद कुमार शर्मा जिला- बंदायू रजिस्टर्ड बही नं.1, जिल्द 8776, पेज 335 से 366, क्रमांक नं. 2529 दिनांक 25.03.2015 में पंजीकृत। सीमाएं निम्न प्रकार है पूर्व- विक्रय वैश्य की सम्पत्ति, पश्चिम -10 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तर- सरकारी सड़क, दक्षिण- सरदारगुरदीप सिंह की सम्पत्ति।	03.03.2025 / 05.08.2025	रु0 **36,46,523.71** दिनांक 03.03.2025 (ब्याज सहित दिनांक 03.03.2025) + प्रभावी ब्याज दिनांक 04.03.2025 प्रभावी ब्याज एवं अन्य खर्चे

दिनांकः 07.08.2025 स्थान– बदायूँ प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

talbros

टैलब्रोस ऑटोमोटिव कम्पोनेंट्स लिमिटेड

सीआईएनः L29199HR1956PLC033107
पंजीकृत कार्यालयः 14/1, दिल्ली मथुरा रोड, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा)
फोन नं: 0129-4960482, वेबसाइटः www.talbros.com, ई-मेलः seema_narang@talbros.com

30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश (₹ लाख में)

विवरण	समेकित				एकल			
	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष
	30-जून-25	31-मार्च-25	30-जून-24	31-मार्च-25	30-जून-25	31-मार्च-25	30-जून-24	31-मार्च-25
	अन-अंकेक्षित	अंकेक्षित (नोट 2 देखें)	अन-अंकेक्षित	अंकेक्षित	अन-अंकेक्षित	अंकेक्षित (नोट 2 देखें)	अन-अंकेक्षित	अंकेक्षित
प्रचालनों से कुल आय	21,054.41	21,093.72	20,923.62	84,473.03	21,054.41	21,093.72	20,923.62	84,590.83
अपवादात्मक मदों एवं कर पूर्व लाभ/(हानि)	2,794.11	3,359.89	2,641.77	11,943.29	2,394.26	2,826.97	2,337.26	10,287.27
अपवादात्मक मदें	–	–	–	–	–	–	–	–
कर पूर्व लाभ/(हानि)	2,794.11	3,359.89	2,641.77	11,943.29	2,394.26	2,826.97	2,337.26	10,287.27
कर पश्चात निवल लाभ/(हानि)	2,219.64	2,658.10	2,061.47	9,443.27	1,819.79	2,125.18	1,756.96	7,787.25
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (कर पश्चात लाभ/(हानि) और कर पश्चात अन्य व्यापक आय शामिल)	3,417.71	2,231.97	4,029.54	9,977.75	3,017.14	1,693.26	3,725.93	8,318.83
प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य ₹ 2/- प्रत्येक)	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56
प्रति शेयर आय (₹ 2/- प्रत्येक) (अवधि के लिए – गैर वार्षिकीकृत)								
मूल (₹)	3.60	4.31	3.34	15.30	2.95	3.44	2.85	12.62
तनुकृत (₹)	3.60	4.31	3.34	15.30	2.95	3.44	2.85	12.62

टिप्पणियाँ:–

1 उपरोक्त, सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अधीन स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों (www.bseindia.com एवं www.nseindia.com) और कम्पनी की वेबसाइट www.talbros.com पर भी उपलब्ध है।

2 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए इन एकल और समेकित वित्तीय परिणामों की समीक्षा की गई और ऑडिट समिति द्वारा अनुमोदन के लिए सिफारिश की गई और तदनुसार 07 अगस्त, 2025 को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में टैलब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड ("कंपनी") के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के आंकड़े पूर्ण वित्तीय वर्ष के संबंध में लेखापरीक्षित आंकड़ों और प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही तक प्रकाशित वर्ष-दर-वर्ष के आंकड़ों के बीच संतुलन के आंकड़े हैं, जो सीमित समीक्षा के अधीन थे। 30 जून 2025 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों की कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा "सीमित समीक्षा" की गई है। श्री अनुज तलवार, संयुक्त प्रबंध निदेशक को स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत करने के लिए वित्तीय परिणामों पर हस्ताक्षर करने के लिए बोर्ड द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया है।

कृते टैलब्रोस ऑटोमोटिव कम्पोनेंट्स लिमिटेड
हस्ता/–
अनुज तलवार
संयुक्त प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 00628063

दिनांक : अगस्त 07, 2025
स्थान : गुरुग्राम

SANDHAR
Growth. Motivation. Better Life

Fostering Innovation and Growth

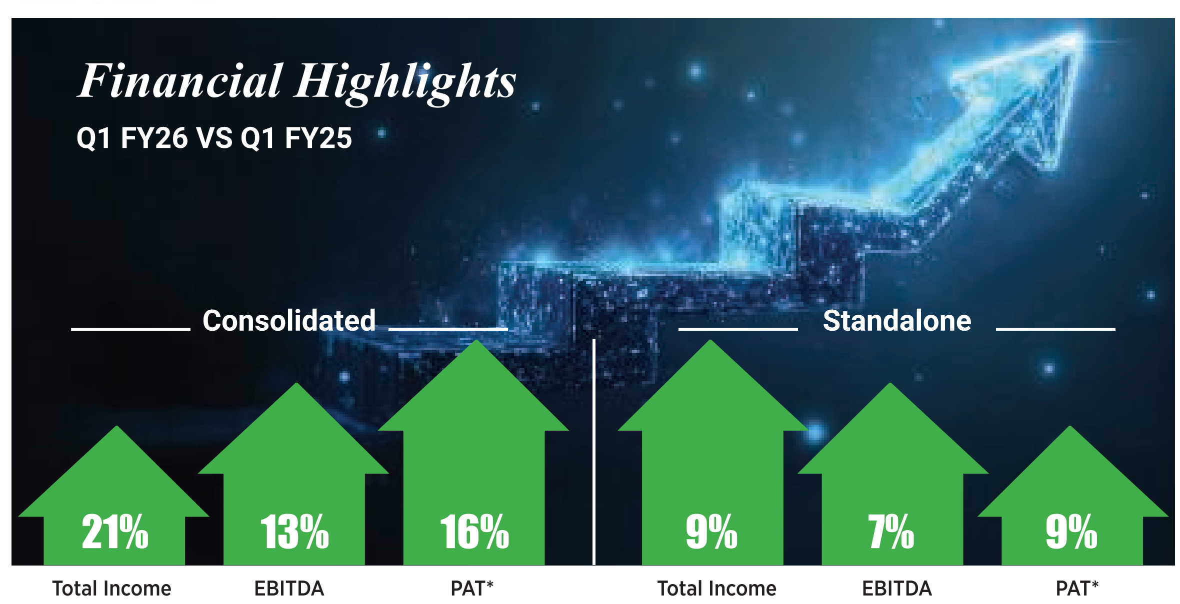

*Including other comprehensive income

EXTRACT OF CONSOLIDATED AND STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2025

(₹ in lakhs, except earning per share)

Sl. No.	Particulars	Consolidated			Standalone		
		Quarter ended		Year ended	Quarter ended		Year ended
		30 June 2025	30 June 2024	31 March 2025	30 June 2025	30 June 2024	31 March 2025
		Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Revenue from Operations	109,008.84	91,256.69	388,450.22	72,812.12	67,410.66	291,303.56
2	Net Profit for the period (before tax, exceptional item and share of profit in joint ventures)	3,442.20	3,528.76	17,257.79	3,455.74	3,388.19	18,309.95
3	Net Profit for the period (before tax after exceptional item and share of profit in joint ventures)	3,631.38	3,713.79	18,459.36	3,455.74	3,388.19	18,614.28
4	Net Profit for the period (after tax, exceptional item and share of profit in joint ventures)	2,801.26	2,906.29	14,164.24	2,540.23	2,466.89	13,962.71
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the Period after Tax and Other Comprehensive Income/(Loss) after Tax)	3,308.41	2,851.00	14,227.13	2,666.81	2,448.92	13,847.64
6	Equity Share Capital	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07
7	Total Reserves	-	-	107,911.05	-	-	108,636.24
8	Earnings Per Share (Face value of ₹10/- per share) (not annualised for quarter)						
	1. Basic:	4.65	4.83	23.53	4.22	4.10	23.20
	2. Diluted:	4.65	4.83	23.53	4.22	4.10	23.20

Note:

a) The above is an extract of the detailed format of Quarter ended 30 June 2025 of Consolidated and Standalone Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter ended Financial Results are available on the websites of the BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and on Company's website at www.sandhargroup.com.

For **Sandhar Technologies Limited**
JAYANT DAVAR
Chairman, Managing Director and Chief Executive Officer
DIN: 00100801

Place: Gurugram (Haryana)
Date: 7 August 2025

SANDHAR TECHNOLOGIES LIMITED
CIN: L74999DL1987PLC029553
Regd. Office: B - 6/20, L.S.C. Safdarjung Enclave, New Delhi 110029
Tel.: 0124 - 4518900, **E-mail:** investors@sandhar.in, **Website:** www.sandhargroup.com